292843694
6/6/17

THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

Pen-09 Local Authority No- 10 Dated 2/6/2017

Pr. Accountant General (A&E) Andhra Pradesh
Telangana Saifabad, Hyderabad - 500004

... of Dearness relief of State Government Pensioners,
... Govt. Resolution No.

Increased of DA 132% to 136% for Pensioners/F.P W.e.f 1.1.2017

... to forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar.
... Resolution No. .... Dated .... for your needful action
... requested to circulate this order to all Treasuries/Sub Treasuries and
... Banks in your Jurisdiction for necessary action.
... acknowledge the receipt of the same with enclosure

संख्या - 3पे - 2 - वे०पु० - (भत्ता) - 08/2013 - 3167/वि० दिनांक 5/5/17

... of Bihar Govt.
... n No.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

... -IV-Spl.-Bihar

Date

... for information and necessary action to:

... Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt. Patna
... Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidya Vasini Sadan,
... Patna-800013
... Officer I.T.A. Pension-I

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

OGP

O/o. the Pr. Accountant General (A&E)
INWARD
12 JUN 2017
Andhra Pradesh & Telangana
Hyderabad

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
12-JUN-17
476364

Pen-01 (Gen) Dy: 159 (2017-18)

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013- ..3167../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- 05/05/2017

विषय:- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-9386, दिनांक-09/12/2016 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से 132 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1(3)/2008-E-II(B) दिनांक-07/04/2017 के द्वारा पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 132 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. राज्य सरकार द्वारा दि०-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षण-पूर्व का पेंशन प्राप्त हो रहा है।

5. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01/01/2017 के प्रभाव से पुनरीक्षण-पूर्व पेंशन में 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महंगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

6. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **3167/वि०** पटना, **दिनांक:**- 05/05/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

3A\DA_Pensioner_136%\Anil